राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 146 जयपुर/2008-07

यह प्रमाणित किया जाता है कि कोविद एजुकेशनल सोसायटी जयपुर जिला जयपुर राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 28 माह मई सन दो हजार 2008 को जयपुर में किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं

(अशोक कुमार जोशी)
रजिस्ट्रार संस्थाएं

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 2374969 2751352 2751417

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
बनी पार्क—जयपुर
राजस्थान

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
जयपुर

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
बनी पार्क—जयपुर
राजस्थान

Scanned by CamScanner

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थायें,
जयपुर ।

3

क्रमांक पं./रजि/संस्थायें/ 146 जयपुर, दिनांक 28-5-08

अध्यक्ष/मंत्री, ओमप्रेम शर्मा / कुलदीप सिंह
कोविद एजुकेशनल सोसायटी
II - 33B/A ... पथ, मनीपार्क जयपुर

विषय : राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के क्रम में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 146 /जयपुर 2008-09 दिनांक 28-5-08 संलग्न है। जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4(क) की तरफ है। 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनायें भिजवाना आवश्यक है :—

1. संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिनको सौंपा गया है, उक्त परिषद् समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद सहित।

2. एक विवरण जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है कि दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।

3. संस्था के नियमों और विनियमों का एक तात्कालिक सही प्रतिलिपि जो शासी निकाय के शासकों, न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त प्रतियां सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से 15 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

4. संस्था द्वारा प्रस्तुत विधान नियमावली, दस्तावेजों, सूचनाओं में यदि कोई गलत, मिथ्या सूचना अंकित किया जाना प्रमाणित होता है अथवा यदि संस्था द्वारा जांच/निरीक्षण कराये जाने से इन्कार किया जाता है तो रजिस्ट्रार को संशोधित विधान नियमावली, चुनाव सूचना इत्यादि तथा पंजीयन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

यदि संस्था द्वारा धारा 4 व 4(क) की सूचनायें प्रति वर्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संस्था प्रथम दोष सिद्ध पर 500/- जुर्माना तथा दोष सिद्धी जारी रहने पर 50/- प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने के दण्ड की भागीदार होगी।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 6 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त [illegible] का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने की दशा में और ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डित होगा [illegible] प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि ऐसा अपराध के लिए प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात् पुनः जारी रहती है, 50/- से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में धारा 4 (क) के अधीन [illegible] को भेजे गये विवरण-पत्र या नियमों और विनियमों को या उनके किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबूझ कर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता या करवाता है तो वह सिद्धी पर ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो 2000/- रुपये तक का हो सकता है तथा मिथ्या प्रविष्टि प्रमाणित होने पर ऐसे नियमों, विनियमों व पदाधिकारियों की सूची निरस्त करने का रजिस्ट्रार को पूर्ण अधिकार होगा।

नोट: इस कार्यालय में भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्र-व्यवहार करते समय संस्था रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र क्रमांक आवश्यक अंकित करें।

संलग्न: मूल प्रमाण-पत्र एवं विधान व नियमावली।

रजिस्ट्रार संस्थायें,
जयपुर।

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
मनी पार्क–जयपुर
राजस्थान 302016

कोविद एजुकेशनल सोसायटी

Scanned by CamScanner

समिति सोसाइटी संस्थान संस्था

संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नाम:-** इस संस्था का नाम कोविद एजुकेशनल सोसायटी समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय H-33 B/A टैगोर पथ बनीपार्क, जयपुर है
तथा कार्यक्षेत्र:-
तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य:-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. उच्चतर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना एवं महिला महाविद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।
2. तकनीकी व उच्चतर तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना! स्थापना व संचालन करना!
3. चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेदिक, नर्सिंग का प्रचार-प्रसार करना, स्थापना व संचालन करना!
5. उच्चतम स्तर की व्यवसायिक शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालन करना।
6. उच्चस्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4

7. गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन और [illegible] उपलब्ध करना।
8. उच्च कम्प्यूटर शिक्षा [illegible] स्थापना, [illegible] करना।
9. छात्र-छात्राओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना व संचालन करना।
10. महिलाओं को उच्च शिक्षा व शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का व आवास (छात्रावास हेतु) उपलब्ध कराना।
11.
13.
14.
15.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

5

कोषाध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष (हस्ताक्षर)

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
बनी पार्क–जयपुर
राजस्थान 302016

[illegible] एक कार्यकारणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम

[illegible]

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	अभिषेक शर्मा	चिकित्सक	झोटवाड़ा जयपुर	अध्यक्ष
2.	युद्धवीर सिंह	चिकित्सक	पिलानी, झुंझुनू	मंत्री
3.	रामानन्द	व्यापार	भोदिन, झुंझुनू	कोषाध्यक्ष
	शीला देवी		सहद. झुंझुनू	उपाध्यक्ष
5.	डॉ. नरेन्द्र कुमार	चिकित्सक	सिंघाणा झुंझुनू	उपकोषाध्यक्ष
6.	पूनम	व्यापार	सूरजगढ़, झुंझुनू	उपमंत्री
7.	डॉ. सी.एल. चोल्ला	चिकित्सक	महनसर, झुंझुनू	सदस्य
8.	सुभाष चन्द्र	चिकित्सक	गोकुलपुरा, सीकर	सदस्य
9.	अनिता	व्यापार	कुँवर नगर, जयपुर	सदस्य

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय		
10.	विकास शर्मा	इंजीनियर	[illegible] रोड, जयपुर	सदस्य
11.	रामप्रसाद शर्मा	आयुर्वेद	जयपुर	सदस्य
12.	[illegible]	बी.काम	[illegible] नगर, जयपुर	सदस्य
13.	[illegible]	जी.एन.एम.	चिड़ावा, झुंझुनू	सदस्य
14.	[illegible]	इंजीनियर	पिलानी, झुंझुनू	सदस्य
15.	धर्मवीर सिंह	[illegible]	वैशाली नगर, जयपुर	सदस्य

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
वनी पार्क–जयपुर
राजस्थान

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
वनी पार्क–जयपुर
राजस्थान

उपाध्यक्ष अध्यक्ष मंत्री

5. [illegible]

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	अभिषेक शर्मा	चिकित्सक	हथोज, जयपुर	[illegible]
2.	युद्धवीर सिंह	चिकित्सा	पिलानी, झुंझुनू	[illegible]
3.	रामानन्द	व्यापार	ओदिन, झुंझुनू	[illegible]
4.	शीला देवी		सहड़, झुंझुनू	शीला
5.	डॉ. नरेन्द्र कुमार	चिकित्सक	सिंघाणा, झुंझुनू	[illegible]
6.	पूनम	व्यापार	सूरजगढ़, झुंझुनू	Poonam
7.	डा. सी.एल. चोहल	चिकित्सक	महनसर, झुंझुनू	[illegible]
8.	सुभाष चन्द्र	चिकित्सा	गोकुलपुरा, सीकर	[illegible]
9.	अनिता	व्यापार	कंवरनगर, जयपुर	अनिता शर्मा
10.	[illegible]	इंजीनियर	नाहरगढ़ रोड, जयपुर	[illegible]
11.	रामप्रसाद शर्मा	आयुर्वेद	जयपुर	राम प्रसाद
12.	अदिति दत्त	नौकरी	श्यामनगर, जयपुर	[illegible]
13.	सुशीला	नौकरी	चिड़ावा, झुंझुनू	सुशीला
14.	[illegible]	इंजीनियर	पिलानी, झुंझुनू	[illegible]
15.	[illegible] सिंह	इंजीनियर	[illegible] नगर, जयपुर	[illegible]
16.	[illegible] कुमार	अध्यापक	सीकर	[illegible]
17.	गौतम शर्मा	इंजीनियर	बनीपार्क, जयपुर	[illegible]
18.	आलोक दाधीच	सी.ए.	मीरा मार्ग, जयपुर	[illegible]

8 9

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
बनी पार्क–जयपुर
राजस्थान

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
बनी पार्क–जयपुर
राजस्थान

क्र.				हस्ताक्षर	क्र.			
19	देवेन्द्र भास्कर		सं० गा, झुंझुनू	[illegible]	28			
20.	घासीराम	[illegible]	[illegible] जयपुर	[illegible]	29.			
21.					30.			
22.					31.			
23.					32.			
24.					33.			
25.					34.			
26.					35.			
27.					36.			

10

11

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

मन्त्री

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
वनी पार्क–जयपुर
राजस्थान 302016

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
वनी पार्क–जयपुर
राजस्थान 302016

7

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.	1. संस्था का पंजीकरण ... 14 ... कोविद एजुकेशनल सोसायटी			
38.	... 16 ... 29-5-08			
39.				
40.				

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं और यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी)

1. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

Mo. Farooq 1018 ... Nagar ... Nagpur ...

(साक्षी)

2. हस्ताक्षर HARISHCHANDRA SHARMA

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

Lalya Ice Bay, Post. Mahapura, NH8 Jaipur.

ATTESTED NOTARY PUBLIC JAIPUR (RAJ.) 26/5/08

नोट : शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नामः- इस संस्था का नाम कोविद एजुकेशनल सोसायटी समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय H. 33 B/A, नैशोरपथ, बनीपार्क, जयपुर है तथा कार्यक्षेत्रः- राजस्थान तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्यः- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-
1. उच्चतर शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना एवं महाविद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।
2. तकनीकी व उच्च तकनीकी शिक्षा का प्रचार-प्रसार, स्थापना व संचालन करना।
3. चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, नर्सिंग का प्रचार-प्रसार, स्थापना व संचालन करना।
4. उच्चतम स्तर की व्यवसायिक शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।
5. उच्च स्तरीय शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।
6.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष अध्यक्ष कोषाध्यक्ष

कोविद एजुकेशनल सोसायटी बनी पार्क–जयपुर राजस्थान 302016

7. गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन व कपड़ा उपलब्ध कराना।

8. उच्च कम्प्यूटर शिक्षा ... स्थापना व सन्चालन करना।

9. छात्र - छात्राओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना व सन्चालन करना।

10. महिलाओं की शिक्षा व उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व आवास (छात्रावास हेतु) उपलब्ध कराना।

11. ....

12. ....

13. ....

14. ....

15. ....

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
बनी पार्क—जयपुर
राजस्थान 3020..

4. सदस्यता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :-
1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2- बालिग हो।
3- पागल, दीवालिये न हों।
4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हो।
5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-
1-संरक्षक
2-विशिष्ठ
3-सम्माननीय
4-साधारण
(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :- उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-
1-संरक्षक राशि 51,000/- वार्षिक/आजन्म
2-विशिष्ट राशि 25,000 वार्षिक/आजन्म
3-सम्माननीय राशि 10,000 वार्षिक
4-साधारण राशि 5,000 वार्षिक
उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. .... की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-
1-मृत्यु होने पर
2-त्याग-पत्र देने पर
3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
बनी पार्क—जयपुर
राजस्थान 302016

उक्त प्रकार के निष्कासन की अवधि 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा का बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:– संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :– साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :–

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

10. साधारण सभा की बैठकें :–

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन :– संस्था के कार्य को [illegible] कार्यकारिणी [illegible] किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–

1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक

3. मन्त्री-एक 4. कोषाध्यक्ष-एक

5. सदस्य-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ......6...... पदाधिकारी व ......14...... सदस्य कुल ......20...... सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :–

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :– संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :-

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
धैनी पार्क–जयपुर
राजस्थान

10

14. कार्यकारिणी की बैठकें :– 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :– संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–

1-अध्यक्ष :

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
बनी पार्क–जयपुर
राजस्थान 302016

17. कोष सम्बन्धी निर्देश :- संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी ... :-

1. संस्था ... 1-अध्यक्ष 1.5 Lacs रु.
2. ... कोविद एजुकेशनल सोसायटी 2-मंत्री 1 Lac रु.
3. ... 3-कोषाध्यक्ष 1 Lac रु.

28-5-08 ... का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :- संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। ... रजिस्ट्रार संस्थाएँ को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :- संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :- यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाएँ को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :- रजिस्ट्रार संस्थाएं ... को संस्था के रिकॉर्ड के निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) ... 16 ... सामिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

1. ... 30-5-08
2. ...

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

20

शपथ-पत्र का प्रपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था .... के सशपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि :-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था .... के पंजीयन हेतु कुल .... आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही ... प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही है, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

नोट :- प्रस्तावित संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक्-पृथक् शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक्-पृथक् स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावें।

21

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष अध्यक्ष मंत्री

कोविद एजुकेशनल सोसायटी
बनी पार्क-जयपुर
राजस्थान 302016

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

KOVID EDUCATIONAL SOCIETY

28/05/2008

Permanent Account Number

AAAAK9853C

09022010

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner